वजीर राम सिंह, राजकीय महाविद्यालय देहरी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013

भाग–एक

1 **(i)** प्रस्तावनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्नलिखित प्रधानाचार्य द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्रम संख्या	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री वी0के0 शर्मा	4/2011 से 4/2012
2	श्री अशोक शर्मा	5/2012 से 3/2013

(ii) संस्था का वर्षवार आय–व्यय विवरण निम्नानुसार थाः–

क्रम संख्या	वर्ष	आय	व्यय	शेष
1	2011–12	2547843	2232143	315700
2	2012–13	3096623	2276036	820587

(iii) गम्भीर अनियमितताएं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	कम्पयूटर व इन्टरनैट फैसलिटी निधि के रूप में राशि की वसूली न करना	0.59
2	7	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के सामान को Write Off करना	0.75
3	8	कामर्स व गणित के विद्यार्थियों से कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि की वसूली न करना	2.91
4	11	बिना किसी प्रावधान के राशि के नकद पुरस्कार देने बारे	0.60
5	13	छात्रों को अनियमित रूप से Refreshment की राशि का भुगतान करना	0.20

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष लम्बित पैरों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कोई विशेष कार्रवाई अम्ल में नहीं लाई गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि गत सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनुच्छेदों पर वांन्छित कार्रवाई शीध्र अम्ल में लाई जाये तथा पैरों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाये। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण (अवधि 4/2011 से 3/2013) जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 06.01.2014 से 22.01.2014 तक के दौरान देहरी में किया गया है। माह 6/11 व 6/12 का चयन आय की विस्तृत जाँच हेतु तथा माह 2/12 व 8/12 का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेंतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

महाविद्यालय के अवधि 4/11 से 3/13 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्नविवरणानुसार ₹14000/— बनता है।

वर्ष	निधियों से आय	अंकेक्षण शुल्क
2011–12	2547843	7000
2012–13	3096623	7000
		14000

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय की प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनाँक 08.01.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को प्रधानाचार्य द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 873400 दिनाँक 09.01.2014 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को भेज दिया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) राजकीय महाविद्यालय देहरी द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर वर्णित है।

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011 के अनुसार महाविद्यालय द्वारा सभी निधियों का दिनाँक 31.3.11 को अन्तशेष ₹12240653/– दर्शाया गया था परन्तु वर्तमान अंकेक्षण में संस्था द्वारा महाविद्यालय द्वारा **परिशिष्ट "क"** में जिन–2 निधियों की वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की है उनका दिनाँक 1.4.2011 को प्रारम्भिक शेष ₹5044261/– दर्शाया गया है। अतः गत अंकेक्षण के प्रतिवेदन के अन्तशेष तथा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदनों के प्रारम्भिक शेष में ₹12240653–₹5044261=₹7196392 का अन्तर पाया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि महाविद्यालय द्वारा **परिशिष्ट "क"** में वर्णित विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति में सम्बन्धित निधि में से सावधि जमा योजना में निवेशित ₹7196392/– को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रारम्भिक शेष में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके कारणों को उल्लेखित करते हुए यह स्पष्ट किया जाए कि संलग्न **परिशिष्ट "क"** के अनुसार वित्तीय स्थिति में विभिन्न निधि से सम्बन्धित सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है एवं इन सभी राशियों को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न वित्तीय स्थिति में तदानुसार सम्मिलित किया जाए तथा अनुपालना में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 निवेशः—

महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्र निधियों से दिनाँक 31.03.2013 तक ₹7196392/— का निवेश किया गया जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

6 कम्प्यूटर व इन्टरनैट फैसिलिटी निधि के रूप में ₹59460/— की वसूली न करनाः—

महाविद्यालय से छात्र निधियों की प्राप्तियों की जाँच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2011—12 व वर्ष 2012—13 में बी0एस0सी0 के विद्यार्थियों को छोड़ कर शेष सभी विद्यार्थियों से कम्प्यूटर व इन्टरनैट फैसिलिटी निधि की ₹20/— प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष की दर से निम्न विवरणानुसार ₹59460/— की वसूली नहीं की गई जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्र संख्या ई0डी0एन0—एच (21) ए (3) 20/2010—बी दिनाँक 03.06.2010 के अनुसार कम्पयूटर व इन्टरनैट फैसलिटी निधि की इन विद्यार्थियों से उक्त दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी।

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या जिनसे उक्त निधि वसूल नहीं की गई	दर (प्रतिवर्ष)	वसूली योग्य राशि
2011—12	1582	20	31640
2012—13	1391	20	27820
		कुल योग	**₹59460**

अतः कम्पयूटर व इन्टरनैट फैसलिटी निधि की उक्त ₹59460/— की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके उक्त राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

7 **बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के ₹75056/– के सामान को Write Off करने बारेः–**

निदेशक शिक्षा के पत्र संख्या E.D.N-H(4) 3(C) 2/2002 दिनाँक 30.10.08 के अनुसार प्रधानाचार्य केवल ₹60000/– के सामान को Write Off करने के लिये सक्षम है जबकि **परिशिष्ट "ग"** के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा ₹75056/– के सामान को **Write Off** किया गया जोकि अनियमित है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व उक्त मामले में निदेशक शिक्षा से स्वीकृति लेकर इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 **कामर्स व गणित विद्यार्थियों से कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि की ₹291060/– की वसूली न करनाः–**

महाविद्यालय की छात्र निधियों की प्राप्तियों की जाँच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 में कामर्स व गणित विषय के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़ कर शेष विद्यार्थियों से उक्त निधि की ₹15/– प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से निम्न विवरणानुसार ₹291060/–की वसूली नहीं की गई जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच (21) ए (3)20/2010–बी दिनाँक 03.06.2010 के अनुसार कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि की कामर्स व गणित के सभी विद्यार्थियों से भी उक्त दर के हिसाब से वसूली की जानी अपेक्षित थी।

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या (कामर्स व गणित विषय से सम्बन्धित) जिनसे उक्त निधि वसूल नहीं की गई	दर (प्रतिमाह)	अवधि	वसूली योग्य राशि
2011–12	841	15	12 माह	151380
2012–13	776	15	12 माह	139680
			कुल योग	**291060**

अतः उक्त निधि से सम्बन्धित ₹291060/– की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

9 मिश्रित निधि से अनियमित व्यय करने बारेः–

H.P. University Ordinance Amended Sept 2002 Chapter-XLII के अनुसार निम्नलिखित व्यय उक्त निधि पर वैद्य प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय को प्रतिपूर्ति उचित स्त्रेत से करके इसे उक्त निधि में जमा किया जाए।

वा0सं0	बिल नं0/दिनाँक	फर्म	राशि	विवरण
141	Nil/2.2.12	मै0 राजेश इलैक्ट्रीकल वर्कस गगंथ नूरपुर	12000	500 Sq. Feet Electrical fitting in Smart Class Room
142	148481485/2.2.12	मै0 बंसल इलैक्ट्रोनिक्स जसूर	27153	Fitting Material
41	002/13.4.12	मै0 इन्फ्रा लैब अम्बाला कैन्ट	237039	Projector white Board Uisaliser
47	299/21.8.12	मै0 बंसल इलैक्ट्रोनिकस जसूर	2200	2 fan for Rover & Ranger Room

10 महाविद्यालय द्वारा **Botany** में सम्बन्धित अतिरिक्त **Cylinder** खरीदने बारेः–

वाऊचर संख्या 151 दिनांक 23.2.12 की जाँच में पाया गया कि बिल नं0 16740 दिनाँक 28.11.11 के अन्तर्गत ₹52392/– का Botany से सम्बन्धित सामान खरीदा जिससे Measuring Cylinder 1000 ML 4 No. @ 1640=₹6560 के खरीदे है जबकि रजिस्टर नं0 2 पेंज 37 पर पहले ही 4 Cylinder पड़े थे। अतः अतिरिक्त Cylinder खरीदने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

11 बिना किसी प्रावधान के ₹60000/–के नकद पुरस्कार देने बारेः–

वाऊचर संख्या 152 दिनाँक 27.02.12 की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार छात्रों को वार्षिक पारितोषिक समारोह पर ₹60000/– के नकद पुरस्कार दिये गये जोकि सम्बन्धित निधि पर H.P. University Ordinance Sept 2002 के Chapter XLII अनुसार वैद्य प्रभार नहीं है क्योंकि इस प्रकार के भुगतान किसी भी निधि से नहीं किए जा सकते है। अतः उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेने उपरान्त नियमित करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	विद्यार्थी का नाम व कक्षा	राशि
1	Rashi BA II	5000
2	Monika BA III	5000
3	Rekha BA I	5000
4	Shindu Bala BA I	3500
5	Snil Kumar BA III	5000
6	Kamini BA II	2000
7	Amila Kumari BA II	2000
8	Samita Kumari BA III	2000
9	Sunny BSC I	2000
10	Sushil BA III	1500
11	Raj Kumar B.Com II	5000
12	Nipesh Rana BA I	5000
13	Shubham BA I	4000
14	Jasbir Singh BA III	3000
15	Anjana BA I	2000
16	Anu Bala BA I	2000
17	Pooja BA III	2000
18	Rajni Bardwaj BA III	2000
19	Ruchi Guleria BA	2000
	कुल योग=	₹60000

12 अग्रिमों का विलम्ब से समायोजन करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार निधियों से अग्रिम दिये गये जिन्हें सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसे विलम्ब से समायोजित करवाया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियमों अनुसार उचित नहीं है क्योंकि इन अग्रिमों को कार्य की वास्तविक समाप्ति की तिथि के एक माह के अन्दर समायोजित करवाया जाना अपेक्षित था। अतः इस अनियमितता का औचित्य भी स्पष्ट किया जाये।

वा0सं0	दिनाँक जिस दिन अग्रिम लिया	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	राशि	कार्य समाप्ति की तिथि	जिस दिन समायोजन किया गया
93	12.10.11	श्री विनोद कुमार Astt. Professor Phy. Education	8000	13.2.12	20.10.11
94	12.10.11	–यथोपरि–	11500	–यथोपरि–	21.10.11

13 छात्रों को अनियमित रूप से **Refreshment** की ₹20500/– का भुगतान करनाः–

अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार छात्रों को Coaching Camp से पहले व University Maches के अतिरिक्त अन्य दिनों में भी Refreshment दी गई जोकि H.P. University Ordinance Sept. 2002 Chapter XLII के अनुसार अनुचित है। अतः इन राशियों की उचित स्त्रोत से वसूली करके इस सम्बन्धित निधि में जमा करवा कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

वा0सं0	दिनाँक	विवरण	राशि	
144	13.2.12	7-10-11 to 16-10-11 16 students @ 25/- 10 Days	4000	Cricket
145	13.2.12	8-10-11 to 17-10-11 12 players @ 25/-	3000	Volly Ball
76	2.9.11	4-9-11 to 13-9-11 45	1000	Badminrton

		studentx25x10		(Girls)
77	2.9.11	4-9-11 to 13-9-11 5 student	1250	Badminton (Boys)
157	1.3.12	8-12-12 to 17-12-12 8 players x25x10	2000	Wrestling Chamba
177	30.3.13	3-11-11 to 12-11-11 @25x6x10	1500	Wrestliing Indora
150	23.2.12	10.11.11 to 19.11.11 25x8x10	2000	Athletics
155	23.2.12	22.10.11 to 30.10. 11 23Px25x10	5750	Hand Ball
		योग	₹20500	

14 श्री शिव शंकर, चपरासी (P.T.A.) को ₹200/– का अनियमित भुगतान बारेः–

वाऊचर संख्या 145 दिनाँक 13.02.12 द्वारा अग्रिम ₹1630/– के समायोजन की जाँच करने पर पाया गया कि श्री शिव शंकर चपड़ासी (P.T.A)को Volly Ball Tournament के लिये यात्रा भत्ता (330) व दैनिक भत्ता (200) अर्थात कुल ₹530/– का भुगतान किया गया जिसमें दैनिक भत्ते की ₹200/– का भुगतान उचित नहीं है क्योंकि P.T.A. कर्मचारी सरकारी सेवा नियमों के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः दैनिक भत्ते की ₹200/– की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

15 निधियों के स्टॉक रजिस्टरों की प्रत्यक्ष सत्यापना न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा भण्डार रजिस्टरों में पड़ी हुई वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि नियमानुसार प्रत्येक वर्ष कमेटी गठित करके भण्डार में पड़ी सभी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जाना जरूरी है। अतः भविष्य में प्रत्येक वर्ष भण्डार में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)सी(15)xi (II)–380/84 खण्ड–3,दिनांक,20.6.2014 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. प्राचार्य, वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. उप सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
3. निदेशक, शिक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–171002
4. श्री मुकेश कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा...............................

हस्ता/
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट **"A"** पैरा संख्या 1 (iv) से सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/96

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क) (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (क) (5)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (क) (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (क) (7)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (क) (8)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (क) (9)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (क) (10)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (क) (11)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (क) (12)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (क) (13)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (ख) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–5 (ख) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (ख) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा–5 (ख) (4)	अनिर्णीत
16	पैरा–5 (ख) (5)	अनिर्णीत
17	पैरा–5 (ख) (8)	अनिर्णीत
18	पैरा–5 (ख) (11)	अनिर्णीत
19	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
20	पैरा–6	अनिर्णीत
21	पैरा–7	अनिर्णीत
22	पैरा–8	अनिर्णीत
23	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
24	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत
25	पैरा–9 (ज)	अनिर्णीत

26	पैरा–9 (ढ)	अनिर्णीत
27	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत
28	पैरा–9 (त) (1)	अनिर्णीत
29	पैरा–9 (त) (2)	अनिर्णीत
30	पैरा–9 (द)	अनिर्णीत
31	पैरा–9 (न)	अनिर्णीत
32	पैरा–9 (ब)	अनिर्णीत
33	पैरा–9 (भ)	अनिर्णीत
34	पैरा–9 (म)	अनिर्णीत
35	पैरा–9 (य)	अनिर्णीत
36	पैरा–9 (ल)	अनिर्णीत
37	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
38	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत
39	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत
42	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत
43	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत
44	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत
45	पैरा–11 (छ)	अनिर्णीत
46	पैरा–11 (ज)	अनिर्णीत
47	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
48	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
49	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत
50	पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत
51	पैरा–12 (ड़)	अनिर्णीत
52	पैरा–13	अनिर्णीत
53	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
54	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत

55	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत
56	पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत
57	पैरा–14 (ङ)	अनिर्णीत
58	पैरा–14 (च)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2000

1	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (डी)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (जी)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (एच)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (आई)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (जे)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (के)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (एल)	अनिर्णीत
11	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
12	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–8 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–8 (सी)	अनिर्णीत
15	पैरा–8 (डी)	अनिर्णीत
16	पैरा–8 (ई)	अनिर्णीत
17	पैरा–8 (एफ)	अनिर्णीत
18	पैरा–8 (जी)	अनिर्णीत
19	पैरा–8 (एच)	अनिर्णीत
20	पैरा–8 (आई)	अनिर्णीत
21	पैरा–8 (जे)	अनिर्णीत
22	पैरा–8 (के)	अनिर्णीत
23	पैरा–9	अनिर्णीत

24	पैरा—10	अनिर्णीत
25	पैरा—11 (2)	अनिर्णीत
26	पैरा—12	अनिर्णीत
27	पैरा—13	अनिर्णीत
28	पैरा—14	अनिर्णीत
29	पैरा—15 (1)	अनिर्णीत
30	पैरा—15 (2)	अनिर्णीत
31	पैरा—16	अनिर्णीत
32	पैरा—17	अनिर्णीत

(ग) अंकेंक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2003

1	पैरा—4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (ङ)	आंशिक रूप (क्रम संख्या 1, 3, 4, 7, 10, 11 से निर्णीत समायोजित)
5	पैरा—7 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा—7 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा—8 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा—8 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा—12	अनिर्णीत
10	पैरा—13	अनिर्णीत
11	पैरा—17	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2006

1	पैरा—3	अनिर्णीत
2	पैरा—5	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा—7	अनिर्णीत

5	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत	
11	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–10 (ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–11	अनिर्णीत	
16	पैरा–12	अनिर्णीत	
17	पैरा–13	अनिर्णीत	
18	पैरा–15 (क)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)
19	पैरा–15 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
20	पैरा–16	अनिर्णीत	
21	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा–18	अनिर्णीत	
24	पैरा–19	अनिर्णीत	
25	पैरा–26	अनिर्णीत	
26	पैरा–27	अनिर्णीत	
27	पैरा–28	अनिर्णीत	
28	पैरा–29	अनिर्णीत	
29	पैरा–30	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 4/2006 से 3/2010

1	पैरा–4 (1) (2)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5	अनिर्णीत	
3	पैरा–10	निर्णीत	(कार्रवाई देंख ली गई है)
4	पैरा–11	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–13	निर्णीत	(कार्रवाई देंख ली गई है)
7	पैरा–15	अनिर्णीत	
8	पैरा–16	निर्णीत	(कार्रवाई देंख ली गई है)
9	पैरा–18	अनिर्णीत	
10	पैरा–19	निर्णीत	(कार्रवाई देंख ली गई है)

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–5	निर्णीत	
2	पैरा–6	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–7	निर्णीत	
4	पैरा–8	निर्णीत	
5	पैरा–9	निर्णीत	
6	पैरा–10	निर्णीत	
7	पैरा–11	निर्णीत	(कार्रवाई देंख ली गई है)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	147
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	13
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/13 तक) अनिर्णीत पैरे	134